

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 239/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-05.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 05.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01. थाना-महाराजगंज:- गोकशी में वांछित 01 अभियुक्त, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) -

दिनांक 01.07.2025 को कस्बा महाराजगंज में नदी के किनारे अभियुक्तों 1. सलीम पुत्र मुनौवर निवासी कस्बा व थाना महाराजगंज आजमगढ़ 2.कैजान पुत्र कल्लन निवासी कस्बा व थाना महाराजगंज आजमगढ़ 3. पियर पुत्र अज्ञात पता अज्ञात द्वारा प्रतिबंधित पशु को काटा जा रहा था,जिसके सम्बन्ध में वीडियो के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर उ0नि बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा दिये प्रार्थना पत्र के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/25 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक दि0 04.07.2025 को उ0नि0 ओमकार तिवारी मय हमराह द्वार मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पियर उर्फ कैलाश यादव पुत्र रामबुझ यादव निवासी देवारा कदीम परमेश्वर का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को नहर चांदपुर के पास से समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 191/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 186/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0 191/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पियर उर्फ कैलाश यादव पुत्र रामबुझ यादव निवासी देवारा कदीम परमेश्वर का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष **बरामदगी-**

01. एक अदद तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्रा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

02. उ0नि0 ओमकार तिवारी मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।



02. थाना-तरवा:- युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22-05-25 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 21-05-25 को रात लगभग 9.10 बजे वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त आशीष कुमार S/O दिलीप कुमार निवासी ग्राम खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसला कर कहीं भगा ले गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अपहृता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64 बीएनएस व 5(j)(ii) पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक-05.07.2025 को उ0नि0 शमशेरबहादुर सिंह मय महराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को परमानपुर बाजार से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 127/25 धारा 137(2), 87,64 बीएनएस व 5(j)(ii) पास्को एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02. का0 अमित सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़



03. थाना- निजामाबाद: युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.05.25 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को अज्ञात अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया, जिसकी काफी खोजबीन की गयी जो कहीं नहीं मिली। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान, मेडिकल व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) BNS, व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT की बढोत्तरी की गयी व विश्वास पाल पुत्र हरविन्दर पाल निवासी ग्राम अवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.07.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विश्वास पाल पुत्र हरविन्दर पाल निवासी ग्राम अवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष को फरीहा चौराहे से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विश्वास पाल पुत्र हरविन्दर पाल निवासी ग्राम अवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-167/25 धारा-87/137(2) 65(1)बीएनएस व 3/4(2)व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

01. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

02. का0 विक्रम मौर्य थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

03. का0 दिनेश चन्द्र थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़



04. थाना-मेंहनगर:- युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 04.07.2025 को आवेदक द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 22.06.2025 समय लगभग 05:00 बजे शाम को अभियुक्त आमिर सिद्दीकी पुत्र इरशाद सिद्दीकी निवासी ग्राम- दौलतपुर, थाना- मेंहनगर आजमगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष द्वारा वादी की नतिनी उम्र 07 वर्ष व पोती उम्र 06 वर्ष के साथ अश्लील हरकतें की गयी। वादी के परिवार वालों द्वारा उपरोक्त घटना के विषय में अभियुक्त से पूछा गया तो अभियुक्त द्वारा वादी के पूरे परिवार को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 65(2)/352/351(3) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 05.07.2025 को नि0अ0 जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आमिर सिद्दीकी पुत्र इरशाद सिद्दीकी निवासी ग्राम- दौलतपुर, थाना- मेंहनगर आजमगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष को ग्राम दौलतपुर से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. आमिर सिद्दीकी पुत्र इरशाद सिद्दीकी निवासी ग्राम- दौलतपुर, थाना- मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 347/2025 धारा 65(2)/352/351(3) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो थाना मेंहनगर गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. नि0अ0 जयप्रकाश यादव थाना- मेंहनगर आजमगढ़

02. का0 वसीम अकरम थाना- मेंहनगर आजमगढ़



05. थाना-अतरौलिया:- युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 01.07.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग बहन अभियुक्त सचिन पुत्र अनिल निवासी दरबरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.07.2025 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र अनिल निवासी दरबरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे ग्राम अगया अण्डर पास पुल के पास से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अप्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 226/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सचिन पुत्र अनिल निवासी दरबरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 जफर अयूब थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 गोविन्द मौर्या थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 दीपक कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़



06.थाना- मेंहनगर: किशोरी के अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण: -

दिनांक 24.05.2025 को वादी मुकदमा मेंहनगर जिला आजमगढ की तहरीरी सूचना कि दिनांक- 23.5.25 समय 1 बजे दिन मे अपने खेत मे गयी थी, घर पर मेरी लडकी अकेली थी उसी का फायदा उठाकर विपक्षी सतीश यादव पुत्र भगवानदास यादव बहला फूसलाकर मेरे लडकी के भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2025 धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस एक्ट बनाम 1.सतीश यादव पुत्र भगवानदास यादव, ग्राम सिसवा थाना- मेंहनगर आजमगढ, 2.छोटेला ल यादव पुत्र दीपचन्द यादव ग्राम सिसवा थाना मेंहनगर, 3.सुसमा पत्नी भगवानदास यादव निवासी सिसवा थाना मेंहनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान, मेडिकल व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.07.25 को उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सतीश यादव पुत्र भगवानदास यादव, ग्राम सिसवा थाना- मेंहनगर आजमगढ उम्र 20 वर्ष को गौरा मन्दिर से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सतीश यादव पुत्र भगवानदास यादव, ग्राम सिसवा थाना- मेंहनगर आजमगढ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 246/25 धारा 87/137(2)/61(2)/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

01. उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

02. का0 सोनू यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ



07.थाना- कोतवाली: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि प्रार्थी की नतिनी जो कि कई वर्षों से मेरे ही घर पर रहती थी जो कि दिनांक 16.06.2025 को सुबह घर से कही चली गयी है । हम लोगो ने सभी जगहों पर खोजा पर कही पता नहीं चला । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 17.06.25 को मु0अ0सं0 279/2025 धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.07.2025 को उ0नि0 सूरज चौधरी, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंशु सिंह उर्फ राजा पुत्र परमजीत नि0 सूरजपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 18 वर्ष को दि. 05.07.2025 को समय 14.00 बजे डीएवी कालेज के गेट से 10 कदम आगे सड़क के किनारे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

01. मु0अ0सं0 279/2025 धारा 137(2) BNS थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अंशु सिंह उर्फ राजा पुत्र परमजीत नि0 सूरजपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सुनील कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. का0 पिण्टू यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

